कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.-9454400250, दूरभाष-05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

संख्या-290/2023 दिनांक-11.09.2023

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना मुबारकपुर/ कोतवाली

जीवन साथी मैट्रोमोनी ऐप व विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर फर्जी उपनिरीक्षक बनकर शादी का झांसा देकर ठगी करने वाला अभियुक्त 03 सहयोगियो के साथ गिरफ्तार

प्रतिष्ठित लोगो के साथ सोशल मीडिया पर फोटो प्रसारित कर बनाता था प्रभाव

अपराध का तरीका–

पुलिस की वर्दी पहन कर Jeevansathi.com के माध्यम से लोगों को ठगने वाला अन्तर्जनपदीय गैंग पकड़ा गया है। यह व्यक्ति 2020 से सक्रिय है। वर्दी पहन कर Istagram और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपने आप को एस0आई0 बताता है। पुलिस के मेडल लगाता है। पुलिस वालों और नेताओं के साथ फोटो प्रोफाईल पर डालता है। नियमित रूप से वर्दी पहन कर विभिन्न दफ्तरों में जाता है व समारोह में शामिल होता है। शादी के प्रोपोजल आते हैं उनसे नजदीकी बढ़ाता है और फिर मां के आपरेशन के नाम पर पैसे मांगता है। अपने शिकारों को यह Instagram और Jeevansathi.com से लॉगआउट कराता है और सम्पर्क काट देता है। यह बलिया/मिर्जापुर/लखनऊ और इलाहाबाद में सक्रिय है। इस पर पहले से इलाहाबाद व लखनऊ में मुकदमे लिखे जा चुके हैं। आजमगढ़ में एक आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। चेकिंग में बवर्दी(फर्जी) पकड़े जाने व दो धोखाधड़ी के मुकदमे कोतवाली और फूलपुर में लिखाये गये हैं।

पूर्व के पंजीकृत अभियोग:-

1. दिनांक 10.09.2023 को वादी मुकदमा थाना संचेड़ी जनपद कानपुर द्वारा खुद के भतीजी पीड़िता से नकली दरोगा बनकर शादी का झांसा देकर से 70 हजार रुपये धोखा धड़ी के माध्यम से ले लेना। दरोगा (उपनिरीक्षक) का वर्दी पहनकर एवं फर्जी कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अपना आधार कार्ड व परिचय पत्र फर्जी व कुटरचित दस्तावेज तैयार करने तथा अपने को (लोक सेवक) दरोगा बताने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली जनपद आजमगढ पर मु0अ0सं0 518/2023 धारा 170/419/420/468 भादवि0 अभियुक्त धीरज सिंह पुत्र प्रवीण कुमार सिंह निवासी दुधैला थाना सहतवार जनपद बलिया व हाल पता अटलपुरी सेक्टर न0-2 लखनऊ के विरूद्ध पंजीकृत है जिसकी विवेचना उ0नि0 संजय तिवारी प्रभारी चौकी बलरामपुर द्वारा की जा रही है।

2. दिनांक 10.09.2023 को थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ पर वादिनी मुकदमा द्वारा सूचना दिया गया कि कुछ महिने पहले जीवनसाथी एप पर अभियुक्त धीरज सिंह पुत्र प्रवीण कुमार सिंह उपरोक्त निवासी अटलपुरी सेक्टर नं0 2 लखनऊ दक्षिणी कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा खुद को लखनऊ विकास भवन गेट नं0 12 का प्रभारी दरोगा के पद पर तैनाती बताकर एवं पुनः जनपद आजमगढ़ के थाना फूलपुर के चौकी पर चौकी प्रभारी के रूप मे तैनात होने के सम्बन्ध मे फर्जी पीएनओ व फर्जी कूटरचित पुलिस आईडी व वर्दी पहनकर झांसा देकर पीड़िता उपरोक्त से माँ की तबियत खराब होने की बात बताकर गुगल-पे व योनो एसबीआई के माध्यम से 50,000/- रूपये धोखा धड़ी के माध्यम से ले लेने के सम्बन्ध मे थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0 395/2023 धारा 420/467/468/471 भादवि0 बनाम धीरज सिंह उपरोक्त के पंजीकृत किया गया है जिसकी विवेचना उ0नि0 राजन द्विवेदी द्वारा की जा रही है।

➡ इसी क्रम में उपनिरीक्षक संजय तिवारी, कोतवाली पुलिस द्वारा बैठौली पुलिया से उपरोक्त अभियोग में सम्मिलित अभियुक्तो के सहयोगी 1. राजेश सिंह पुत्र पवन सिंह निवासी श्रीनगर थाना बैरिया जनपद बलिया उम्र 39 वर्ष व

2. प्रवीण प्रताप सिंह पुत्र महेश्वर सिंह निवासी नौकागाँव थाना रेवती जनपद बलिया उम्र 29 वर्ष को नियमानुसार दिनांक 11.9.23 को समय 10.30 बजे गिरफ्तार किया गया। तथा कब्जे से स्वीफ्ट कार नं0 UP14BE6050 बरामद किया गया। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

1. धीरज सिंह पुत्र प्रवीन सिंह निवासी दुधैला थाना सहतवार जनपद बलिया
2. पंकज सिंह पुत्र बृजेश सिंह निवासी ग्राम नौकागाँव थाना रेवती जनपद बलिया
3. राजेश सिंह पुत्र पवन सिंह निवासी श्रीनगर थाना बैरिया जनपद बलिया उम्र 39 वर्ष
4. प्रवीण प्रताप सिंह पुत्र महेश्वर सिंह निवासी नौकागाँव थाना रेवती जनपद बलिया उम्र 29 वर्ष

बरामदगीः-

एक उपनिरीक्षक की वर्दी मय नेमप्लेट, परिचय पत्र, लोगो, मोनोग्राम स्टार

01 अवैध तमंचा

04 कारतूस .315 बोर

01 वैगनार UP32TN 8050 (कूटरचित नम्बर प्लेट)

स्वीफ्ट कार नं0 UP14BE6050

<u>पूछताछ का विवरण–</u>

अभियुक्त धीरज सिंह उपरोक्त से पूछताछ पर बताया कि अपने सुख सुविधा और समाज मे अपना रूतबा जमाने के लिये काफी दिनों से उ0प्र0पु0 दरोगा की वर्दी पहनकर धोखा देने के लिये फर्जी नेम प्लेट व परिचय पत्र अपने मामा पंकज सिंह उपरोक्त के सहयोग से बनवाकर कुटरचना करके अपने भौतिक व आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से यह कार्य करते है जो भी लाभ प्राप्त होता है। उसे मिल बाट कर ऐसों आराम करते है। दूसरा अभियुक्त भी इसी प्रकार जुर्म स्वीकार कर रहा है।

<u>आपराधिक इतिहास</u>-

धीरज सिंह पुत्र प्रवीन सिंह निवासी दुधैला थाना सहतवार जनपद बलिया

1. मु0अ0सं0 044/2022 धारा 379/420 भादवि थाना गोमती नगर जनपद लखनऊ
2. मु0अ0सं0 296/2022 धारा 379/420/406 भादवि थाना जार्ज टाउन जनपद प्रयागराज
3. मु0अ0सं0 441/2023 धारा 419/420/467/468/470/471/171 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ
4. मु0अ0सं0 442/2023 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ
5. मु0अ0सं0 443/2023 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ
6. मु0अ0सं0 518/2023 धारा 170/419/420/468 भादवि थाना कोतवाली जनपद आमजगढ
7. मु0अ0सं0 395/2023 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना फूलपुर जनपद आजमगढ

पंकज सिंह पुत्र बृजेश सिंह निवासी ग्राम नौकागाँव थाना रेवती जनपद बलिया

1. मु0अ0सं0 441/2023 धारा 419/420/467/468/470/471/171 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ
2. मु0अ0सं0 443/2023 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम –</u>

व0उ0नि0 संजय कुमार सिंह, उ0नि0 महेन्द्र कुमार थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

हे0का0 नसरूद्दिन मोहम्मद हुमायू, का0 प्रवेश चौधरी, का0 राहुल चौधरी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ।